

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 70/2025(GCMS : 2025/87)

आवास फाईनेसर्स लि., पंजीकृत कार्यालय 201-202 द्वितीय तल, साउथ एण्ड सकेव्यर मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, जयपुर व स्थानीय शाखा कार्यालय शॉप नं. 1 व 2 द्वितीय तल, शक्ति मार्ग, राजस्थान पत्रिका कार्यालय के पास, सूरतगढ़ रोड़, श्रीगंगानगर जरिये प्राधिकृत अधिकारी प्रेम सुथार

बनाम

1. शान्ति पत्नी मंगत राम निवासी वार्ड नं 14, स्टेट बैंक वाली गली, पोस्ट ऑफिस सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर -335804 द्वितीय पता पट्टा नं. 34, वार्ड नं. 20, तहसील सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राज.)-335039
2. संदीप पेड़ीवाल पुत्र श्री मंगत राय पेड़ीवाल निवासी एसबीबीजे बैंक रोड़, वार्ड नं. 14, उत्तम नगर, सूरतगढ़ एसओ श्रीगंगानगर, राजस्थान
3. दीपक पुत्र मंगत राय महेश्वरी निवासी मकान संख्या 62, हरि नगर, सिटी आर एस एस ओ, मेरड़ (उत्तर प्रदेश)-250002



16.06.2025


पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी के अधिवक्ता श्री जितेन्द्र पराशर उपस्थित हुए। प्रार्थी बैंक/कम्पनी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कथन किया कि अप्रार्थी ने प्रार्थी बैंक की बकाया राशि जमा करवा दी है इसलिए वे इस प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं, इसलिए नॉट प्रैस किये जाने का प्रार्थना की। प्रार्थी आवास फाईनेस लि. ने अप्रार्थीगण शान्ति, संदीप पेड़ीवाल एवं दीपक द्वारा बैंक के ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण उनके द्वारा बैंक ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी शांति की अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 34, वार्ड नं. 20 तहसील सूरतगढ़ - 335039 का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 19.02.2025 को प्रस्तुत कर रखा है और प्रार्थी बैंक ऋणी के विरुद्ध इस प्रकरण में किसी प्रकार की आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता है अर्थात नॉट प्रैस करता है और अगर इस प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाती है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

मैने, उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 19.02.2025 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी आवास फाईनेंस लि. द्वारा धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण शान्ति, संदीप पेड़ीवाल एवं दीपक के विरुद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में शांति की अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 34, वार्ड नं. 20 तहसील सूरतगढ़ - 335039 का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और अब चूंकि प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं अर्थात् नॉट प्रैस करते हैं। इस आशय का नोट प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने फर्दअहकाम के हाशिये पर अंकित किया है, जो पत्रावली में उपलब्ध है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी आवास फाईनेंस लि. द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ. मन्जू)

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर